

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा।

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
आगरा।

सेवा में,

मण्डलीय अपर निदेशक एवं प्रमुख अधीक्षक
जिला अस्पताल,
आगरा।

पत्रांक:- मु0चि0अ0 / कोरोना /SARI Surveillance/Sample Collection 2020/27/4 दिनांक १ मार्च 2020

विषय :- जनपद में निजी अस्पतालों में SARI Surveillance के दौरान COVID-19 के संदिग्ध मरीजों
सैम्पल के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक में अवगत कराना है की प्रदेश में जनपद आगरा के कोरोना वायरस के अधिकतम मरीज पाये गये हैं, जिसके तहत जनपद में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रान्समिशन को रोकने हेतु सरकारी व निजी चिकित्सालयों में SARI/ARI (Severe Acute Respiratory Infection) Surveillance के तहत कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज पाये जाने की सम्भावना है, जिसके अन्तर्गत शहर के कुछ निजी चिकित्सालयों को कोरोना वायरस के उनके यहां भर्ती संदिग्ध मरीजों के सैम्पल लेने के लिये अधिकृत किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की इन निजी चिकित्सालयों से प्राप्त सैम्पलों को प्राप्त कर राज्य स्तरीय लैब पर भिजवाना सुनिश्चित करें एवं आवश्यक सूची तैयार रखें।

भवदीय


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।

पत्रांक मु0चि0अ0 / कोरोना /SARI Surveillance/Sample Collection 2020/ दिनांक मार्च 2020
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ।
2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक (संचारी) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, लखनऊ।
4. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आगरा मण्डल, आगरा।
5. जिलाधिकारी आगरा।
6. अध्यक्ष / सैकेट्री इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, आगरा।


मुख्य चिकित्सा अधिकारी
आगरा।